

31/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील दादीया व स्वयं बादीया हाजिर  
नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज  
लगाते पर भी ना तो वकील बादीया हाजिर और  
ना ही बादीया स्वयं हाजिर गए। दावा घोषणा  
। एमार्च नोटिसबाद को अदालत हाजिरी आदेश पेश की  
मे खालीज किया जाता है। पत्रावली के माध्यम  
शुभकर होकर उपरोक्त लेखन हो व हाजिरी उपरोक्त  
हो।

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवादी (उपरोक्त)